लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं /हम घोषणा करते हैं -

- *मैंने/हमने एफएसएस अधिनियम, 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों के सभी प्रावधानों और घोषित खाद्य कारोबार पर लागू समय-समय पर जारी आदेशों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और इनका पूरा पालन करेंगे।*
- *मैं/हमने आवेदन में दर्शाए गए खाद्य कारोबार की गतिविधियों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना बनायी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य पदार्थ एफएसएस अधिनियम 2006 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।*
- *हमारी सुविधाओं के अंतर्गत एफएसएस (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में यथा-विनिर्दिष्ट सामान्य स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा।*
- *मैं/हम लाइसेंस/पंजीकरण की सभी शर्तों का पालन करेंगे।*
- *मैं/हम दर्शाए गए मानदण्डों में हमारी पात्राता में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में लाइसेंस में संशोधन कराएंगे।*
- *मैं/हम अन्य सरकारी निकायों से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, जहां कहीं आवश्यक हो, के लिए उत्तरदायी होंगे।*
- *विनिर्माण के मामले में, अनुमोदित उत्पाद यदि ऐसे उत्पादों के संदर्भ में हों, जिसके लिए मानक एफएसएस (खाद्य उत्पाद एवं योज्य) विनियम और एफएसएस (स्वास्थ्य पूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहारीय उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए, प्रयोजनीय खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 और एफएसएस (गैर-विशिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 और एफएसएस (अलकोहलीय ब्रेवरेजिज) विनियम, 2018 के अनुसार निर्धारित हैं। केवल उन उत्पादों, जो उपर्युक्त् विनिर्दिष्ट एफएसएस विनियमों के अनुसार हों, के विनिर्माण की ही अनुमति होगी। हमसार विनिर्माण सुविधाओं में हमारे द्वारा विनिर्मित प्रोपराइटरी खाद्य के मामले में, मैं/हम एफएसएस अधिनियम, 2006 और*

इसके अंतर्गत बनाए गए अनुवर्ती नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे और प्ररुप में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार प्रोपराइटरी खाद्‌य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

- *खाद्‌य वस्तुओं की पुन:पैकिंग के मामले में, अपेक्षित विशेष भण्डारण/परिवहन दशाओं का रख-रखाव करते हुए, खाद्‌य वस्तुओं को उपयुक्त बल्क पैकेजिंग के साथ स्वच्छ रुप में हमारी एकक तक लायी जाएंगी / परिवहन की जाएंगी।*
- *मैं/हम केवल उन्हीं उत्पादों का विनिर्माण करेंगे जो लाइसेंस द्‌वारा अनुमोदित हैं।*
- *मैं/हम लाइसेंस की शर्तों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट खाद्‌य कारोबार की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए किसी तकनीकी व्यक्ति या किसी खाद्‌य सुरक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे।*

(मैं एतद्‌दवारा सत्यनिष्ठा से यह वचन देता हूँ कि मेरे द्‌वारा यहां दी गई सभी सूचनाएं और विवरण मेरे पूरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं)

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)